प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
पीलीभीत।

सेवार्में,

प्रबन्धक,
लकी चिल्ड्रन स्कूल,
ग्राम [illegible] कालीना
पीलीभीत।

पत्रांक: शि० स० 5746-79 / 95-96   दिनांक 23/5/95

विषय- प्राइमरी स्तर की स्थायी मान्यता के सम्बन्ध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके विद्यालय की जाँच अधिकारी की आख्या एवं संस्तुति के आधार पर जिला मान्यता समिति द्वारा प्राइमरी स्तर की स्थायी मान्यता सत्र 94-95 से निम्न प्रतिबन्धों सहित प्रदान करने का निर्णय लिया है।

अत: आपके विद्यालय को प्राइमरी स्तर की स्थायी मान्यता सत्र 94-95 से निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है।

1: छात्रों से विभाग द्वारा निर्धारित दर से शुल्क लिया जाये।

2: विभाग द्वारा अनुमोदित पाठ्य क्रम के माध्यम से शिक्षा दिलायी जाये।

3: सभी शिक्षक/शिक्षिकायें प्रशिक्षित रखी जायें।

4: विभागीय आदेशों का पालन कड़ाई से किया जाये।

5: विभागीय आदेशों का पालन न करने, यदि कोई तथ्य छिपाया गया या बाद में प्रकाश में आया तो जिला मान्यता समिति को मान्यता प्रत्याहरण करने का पूर्ण अधिकार होगा।

भवदीय

(श्याम लाल शाही)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
पीलीभीत।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
पीलीभीत

पृ०सं० शि०क्र० /94-95 दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1: शिक्षा अधीक्षक, नगर क्षेत्र, पीलीभीत।
2: जिला समाज कल्याण अधिकारी, पीलीभीत।
3: उप विद्यालय निरीक्षक, पीलीभीत।

(श्याम लाल शाही)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
पीलीभीत।

Principal
Lucky Children Jr. High School
Pilibhit Road, Puranpur (Pilibhit)

Manager
Lucky Children Jr. High School
Pilibhit Road, Puranpur (Pilibhit)

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
पीलीभीत।

(अस्थाई मान्यता)

सेवा में,

प्रबन्धक,

लकी चिल्ड्रेन जू0हा0स्कूल,

आवास विकास कालोनी, नगर क्षेत्र

पीलीभीत।

पत्रांक–मान्य0/ 651-53 /05-06 दिनांक 04-5-06

विषय:– अशासकीय उ0 प्रा0 विद्यालय को अस्थाई मान्यता प्रदान करने के सम्बंध में।

महोदय,

शासनादेश संख्या–646/15.6.1997–18 एस(7)189 लखनऊ दिनांक 13 अगस्त 1997 में निहित निर्देशानुसार एवं प्रविधानुसार आपके विद्यालयों को मण्डलीय मान्यता समिति के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार निम्न शर्तों के अनुसार (कक्षा 6 से 8 तक)अस्थाई मान्यता सत्र 2005–06 से प्रदान की जाती है–

01 आपके विद्यालय में प्रत्येक कक्षा में एक–एक अनुभाग मान्य होने के कारण मानक के अनुसार निम्नलिखित शिक्षक एंव शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के पद अनुमन्य होगें। तथा पत्र निर्गत की तिथि से दो माह के अन्दर शिक्षक/शिक्षणोत्तर कर्मचारी का अनुमोदन लेना अनिवार्य होगा।

1	प्रधानाध्यापक	एक पद
2	सहायक अध्यापक	चार पद (त्रिभाषीय अध्यापक सहित)
3	लिपिक	एक पद
4	चतुर्थ श्रेणी	एक पद
	कुल पद	सात पद

02 विद्यालय मे कार्यरत शिक्षक/ शिक्षणोत्तर कर्मचारियों की मिनिमम वेजेज एक्ट के अन्तर्गत चेक द्वारा वेतन का भुगतान कराया जाये।

03 विद्यालय में शिक्षण का कार्य हिन्दी माध्यम से विभाग द्वारा दिये गये अनुमोदित पाठ्य क्रम ही पढाया जाये।

04 विद्यालय द्वारा निजी भवन की व्यावस्था की जाये।

05 विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक तथा कक्षा 8 से अधिक की कक्षा भविष्य में संचालित न करें।

06 समस्त स्टाफ प्रशिक्षित होना अनिवार्य है।

07 हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढाई जाये।

08 छात्रों से प्राप्त शुल्कार बैंक/पोस्ट आफिस में विद्यालय के नाम खाता खोलकर जमा की जाये तथा सीधे व्यय करना मान्य नही होगा।

अत: आपको शासन एंव विभाग द्वारा समय समय पर प्राप्त आदेशों एंव निर्देशो का पालन अवश्य करना अनिवार्य होगा।शासनादेशों एंव विभागीय आदेशों के विपरीत निर्देशों एवं मान्यता की शर्तों का उल्लंघन करने पर विद्यालय की मान्यता समाप्त की जा सकती है,जिसका अधिकार मान्यता समिति को है।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
पीलीभीत।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
पीलीभीत

पृ0सं0/मान्य0/ /2005–06 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

01 सचिव,बेसिक शिक्षा परिषद ,उ0प्र0 इलाहाबाद।

02 सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक)तृतीय मण्डल बरेली।

03 सम्बंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
पीलीभीत।

Manager
Lucky Children Jr. High School
Pilibhit Road,Puranpur (Pilibhit)

Manager
Lucky Children Jr. High School
Pilibhit Road,Puranpur (Pilibhit)